[Shri Pawan Kumar Bansal]

opportunity to discuss the subject threadbare. I know that at one or two meetings our friend, Mr. Mehta, also chose to speak. But if he were to expect that over 500 Members were to toe his line, I suppose that would be too unfair in a democracy, and if any Member chooses to form an opinion, because his view does not find acceptance, that perhaps he alone is the isparagon of virtue, I suppose that also will be too unfair to others.

Sir, finally, to conclude, I express my sincere gratitude to the honourable Minister of State for Law who has appreciated my point of view, my concern and that of many other honourable Members of this House, about the need to impart full meaning and respect to the anti-defection provisions of the Constitution and of the need to ensure full compliance thereof. I am, however, conscious of the limited scope of a Private Member's Bill, particularly one which seeks to amend the Constitution. I am conscious of that, Sir, and, in the light of the point repeatedly made by the honourable Members and accepted by the honourable Minister, I seek leave of the House to withdraw the Bill, fervently hoping that a consensus would emerge soon to plug these loopholes in the anti-defection law and that at least the spirit of what I have tried to say would find recognition in an official amending Bill moved by the Government. Thank you, Sir.

The Bill was, by leave, withdrawn.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI V. NARAYANASAMY) : We now go to the next item, The Child Welfare Boards Bill, 1988. Shri Suresh Pachouri.

CHILD WELFARE BOARDS BILL, 1988

श्री सुरेश पचौरी : (मध्य प्रदेश) : माननीय उपसभाध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि :

देश के प्रत्येक जिले में बाल कल्याण बोर्ड की स्थापना और तत्संबंधी विषयों का उपबन्ध करने वाले विधेयक पर विचार किया जाये ।

इससे पहले कि मैं अपने इस विधेयक पर विचार प्रकट करूं, आपको इस महत्वपूर्ण पद पर पहुंचने के लिए हृदय से बधाई देता हूं और उम्मीद करता हूं कि आप अपने उत्तरदायित्व का निर्वहन पूर्ण निष्ठा और लगन के साथ सफलतापूर्वक करेंगे ।

महोदय, यह एक संयोग की बात है कि जब मैं ऐसे विधेयक को प्रस्तुत कर रहा हूं जिसमें देश का भविष्य जुड़ा हुआ है--बाल कल्याण बोर्ड विधेयक, 1988 जिसमें देश के प्रत्येक जिले में बाल कल्याण बोर्ड की स्थापना का प्रावधान है, उस समय आप उपसभाध्यक्ष के आसन पर विराजमान हैं । हमारा देश एक विकासशील देश है, जिसमें अशिक्षा बेरोजगारी और गरीब लोगों की संख्या बहुत ज्यादा है और इसी फलस्वरूप यहां के बालकों की उन्नति और विकास भलीभांति आर्थिक अभाव की वजह से नहीं हो पा रहा है । उनका सही ढंग से पालन-पोषण नहीं हो पा रहा है, उनकी सही परवरिश नहीं हो पा रही है, उनकी सही ढंग से देखभाल नहीं हो पा रही है, उन्हें पर्याप्त शिक्षा नहीं मिल पा रही है, जिस ढंग से उनकी ग्रोथ होनी चाहिए अपेक्षानुरूप वैसी ग्रोथ नहीं हो पा रही है । आज के बच्चे जो कल के देश के भविष्य माने जाते हैं उनका यदि सही विकास नहीं हो पाएगा तो देश कैसे विकास करेगा, यह एक प्रश्नवाचक चिन्ह है अधिकांश जो गरीब बच्चे हैं, वह अपनी क्षमताओं का सही उपयोग नहीं कर पाते हैं और उनकी सही देखभाल नहीं होने की वजह से,

उनका सही पालन-पोषण नहीं होने की वजह से, उनको सही स्वास्थ्य सुविधाएं नहीं मिलने की वजह से वे उपेक्षित बच्चे कई प्रकार के भयानक रोगों के शिकार होते हैं। इसलिए, यह आवश्यक हो गया है कि हम इस बात पर चिन्तन और मनन करें और इस निष्कर्ष पर पहुंचें राष्ट्रीय स्तर पर बच्चों की देखभाल किए जाने की बहुत महती आवश्यकता है और उनको उपयुक्त शिक्षा दिया जाना बहुत आवश्यक है।

जो प्रस्तावित मेरा विधेयक है उसमें इसी बात का उल्लेख है कि देश के प्रत्येक जिले में इस प्रकार के बोर्ड का गठन किया जाना चाहिए जिससे कि यह सारी सुविधाएं बच्चों की बेहतरी के लिए बच्चों के जीवन स्तर को बेहतर बनाने के लिए और जो बंधुआ श्रम है बच्चों का उसको दूर करने के लिए, इन सारी चीजों का प्रावधान हो उस बोर्ड के माध्यम से कि उनको वह सारी सुविधाएं मिल सकें जिन सुविधाओं का जिक्र मैंने किया है।

महोदय, इस विधेयक के अधिनियमित हो जाने पर इसमें संघ राज्य क्षेत्रों के मामले में भारत की संचित निधि से उसमें से यह व्यय होगा और जो रिकरिंग एक्सपेंडिचर आएगा, वह प्रतिवर्ष लगभग एक करोड़ रुपए का होगा तथा नान रिकरिंग एक्सपेंडिचर जो होगा वह लगभग दो करोड़ रुपए का होगा। विधेयक का जो खण्ड सात है, केन्द्रीय सरकार को इस विधेयक के प्रयोजनों की प्राप्ति के लिए नियम बनाने की शक्ति प्रदान करेगा।

महोदय, इस विधेयक को लाने के पीछे मकसद यही है और इसके पीछे जो पवित्र भावना छिपी हुई है वह यह है कि हमारे देश के बच्चों का सही ढंग से विकास हो सके। हमारे यहां जो 15 वर्ष से नीचे की आयु के बच्चे हैं वह लगभग 201 मिलियन हैं और उनकी प्रापर केयर नहीं हो पा रही है, पर्याप्त उन्हें चिकित्सा सुविधाएं नहीं मिल पा रही है, पर्याप्त उन्हें शिक्षा नहीं मिल पा रही है और उनकी परवरिश के लिए जो चीजें होनी चाहिए अपेक्षारूप, आशा के अनुरूप वह सब नहीं हो पा रहा है। 45 मिलियन बालक आज भी गरीबी की रेखा से नीचे हैं जो अपनी जीविका की गुजर बसर कर रहे हैं। उनकी आवश्यकता के अनुरूप सही ढंग से देख-भाल नहीं हो पा रही है, यद्यपि भारत सरकार ने इन सब बातों को मद्देनजर रखते हुए कई प्रकार की स्कीमो चलाई हैं वैसे कि आई०सी०डी०एस० है, लेकिन वे पर्याप्त संख्या में नहीं हैं। उनकी संख्या बढ़ाई जानी चाहिये। इसी प्रकार जो आंगनबाजी चलाए है जो गांव और स्लम एरियाज तक सीमित हैं, उन पर भी पर्याप्त ध्यान दिया जाना जारी है।

महोदय, एक नेशनल पालिसी आन चिल्ड्रन 1974 में एडाप्ट हुई थी जिनके तहत बच्चों के फिजिकल, मेंटल और सोशल डेवलपमेंट की बात की गई थी। जिस जोर शोर के साथ यह पालिसी 1974 में एडाप्ट की गई थी और जो आंकड़े दर्शाए गए थे कि इससे इतने लोग लाभान्वित होंगे, वैसा नहीं हो पाया। तो हमको देखना पड़ेगा कि हमारी जो योजना थी, जो हमने कल्पना की थी उसको साकार रूप नहीं मिल पाने के क्या कारण हैं? उसके लिए कौन-कौन सी बातें जिम्मेदार हैं। आज बच्चो को शोषण होता है, बच्चे कई प्रकार की क्रूरता के शिकार होते है, इन सब बातो पर गौर करना जरुरी है। यद्यपि कई प्रकार के कार्यक्रम चलाए गये हैं, बच्चो के लिए प्रोग्राम चलाए गए हैं जैसे हैल्थ प्रग्राम, न्यूट्रिशन प्रोग्राम, एजुकेशन प्रोग्राम चल रहे हैं लकिन एक वातावरण ऐसा नहीं बन पा रहा है जिसके तहत बच्चों के इन प्रोग्रामों में, इन कार्यक्रमों में वे लाभान्वित हो सके। चाइल्ड लबर एेक्ट, 1986 में पास किया गया था जिसमे इस बात का प्राव-धान था कि 14 वर्ष से कम आयु के

[श्री सुरेश पचौरी]

बच्चों से काम नहीं कराया जाएगा लेकिन ऐसा देखने में आता है कि शिक्षा का अभाव और घर में निर्धनता होने की वजह से बच्चों से श्रम कराया जाता है । हमें देखना होगा कि ऐसे परिवारों को, ऐसी संस्थाओं को जो उनसे श्रम कराते हैं, कड़े से कड़ा दंड दिया जाए. इसी प्रकार से नेशनल पालिसी आन चाइल्ड लेबर एनाउंस हुई 1987 में । यद्यपि इसके आशातीत परिणाम निकले लेकिन और सुखदाई परिणाम निकलें ऐसा मेरा मंत्रालय से आग्रह है ।

इसी प्रकार से जो नेशनल चिल्ड्रन बोर्ड का गठन किया गया है जिसके चेयरमैन आदरणीय प्रधान मंत्री जी हैं उस बोर्ड के तहत काफी सराहनीय काम हो रहे हैं । ये बोर्ड जो कि प्रादेशिक स्तर पर, जिला स्तर पर हैं उनको और ज्यादा सुविधाएं, ज्यादा फैसिलिटीज दिया जाना बहुत जरूरी है ।

महोदय, मैंने जो बाल समिति की बात कही, आज अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन का यह कहना है कि 16 वर्ष से कम आयु के जो बच्चे हैं वे 5 करोड़ 60 लाख हैं जो मेहनत-मजदूरी करते हैं अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के अनुसार विश्व में हर चौथा बालक जो बाल श्रमिक है वह भारत में है । यह हमारे लिए दुर्भाग्य की बात है । देश के 87 प्रतिशत बच्चे जो बाल मजदूर हैं वे गांवों में रहते हैं और गांवों में बाल मजदूरी प्रथा ज्यादा है जब कि शहरों में केवल 13 प्रतिशत बाल मजदूर हैं । भारत में जो पारिवारिक आय है उसका 23 प्रतिशत बच्चों द्वारा अर्जित किया जाता है । अतः बाल श्रमिकों के शारीरिक और मानसिक विकास को और सरकार को पर्याप्त ध्यान देना चाहिए । हालांकि इसके लिए कई चीजें जिम्मेदार हैं जैसे कि बढ़ती हुई आबादी । बढ़ती हुई आबादी, गरीबी, आर्थिक संकट और खाने-पीने की समस्याओं से जूझती हुई तीसरी दुनिया है । उसके देश और उसके बच्चे उतना अभी तक कुछ नहीं कर पाये हैं जितनी कि उनसे हम को उम्मीद थी । भारत में बच्चों की जो संख्या है वह अफ्रीका के तमाम 46 देशों के बच्चों की संख्या से भी बहुत ज्यादा है इसलिए भारत में यदि हम बच्चों के लिए कुछ कर सके तो हम ऐसा मानेंगे कि हम भारतवर्ष के लिए, हमारे मुल्क के लिए, हमारे देश के लिए कुछ कर रहे हैं । इनमें भी जो बच्चे हैं भारतवर्ष के 7 में से एक भारतीय बच्चा 5 वर्ष की उम्र से पहले मृत्यु का शिकार हो जाता है, । यानी मृत्यु दर घटे भारत में, शिशुओं की, बच्चों की मृत्यु दर में कटौती हो इस बात पर ध्यान दिया जाना काफी जरूरी है ।

बाल श्रमिकों की संख्या में वृद्धि और शोषण करना एक राष्ट्रीय कलंक है । हमारे माथे पर एक कलंक का टीका है ऐसा मान कर चलता हूं । जो बाल विकास सही ढंग से नहीं हो पा रहा है उसके पीछे बड़े बड़ा कारण है देश की अज्ञानता है । हमारे यहां साक्षरता कार्यक्रम को यदि मदद दी जाए तो हम बहुत कुछ बाल विकास कर सकेंगे, ऐसा मेरा सोचना है । बाल विकास के साथ-साथ महिला विकास भी होना बहुत जरूरी है । यदि मैं यह कहूं तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी कि बाल विकास और महिला विकास एक दूसरे के पर्याय हैं, एक दूसरे के पूरक हैं । जब तक महिला का विकास नहीं होगा, जब तक हम महिलाओं को पर्याप्त ज्ञान नहीं देंगे तब तक बच्चों का सही परिवरिश कर पायेंगी, सही पालन पोषण कर पायेंगी, बच्चों को सही स्वास्थ्य सुविधाएं दे पायेंगी ,सही शिक्षा सुविधा उपलब्ध करा पायेंगी यह बड़ा असम्भव लगता है । जहां मैं बाल विकास की बात कर रहा हूं महिला

विकास इससे पहले किया जाना बहुत जरूरी है । हमारे देश में, लगभग 5 लाख 50 हजार प्राइमरी स्कूल हैं जहां शिक्षा दी जा रही है । यहां जो टीचर्स और स्टूडेंट का रेशो है वह एक और बयालीस है । 42 बालक और एक शिक्षक है । इस बात पर गौर कर सकते हैं कि क्या एक शिक्षक 42 बालकों को पढ़ाने के लिए पर्याप्त है या उन शिक्षकों की संख्या में वृद्धि किया जाना बहुत जरूरी है । ये सारी वे चीजें हैं जो इस बात को इंगित करती हैं कि बड़े सुनियोजित तरीके से, लापरवाही या अज्ञानता या और किसी वजह से बच्चों का शोषण हो रहा है । योजनाओं का जो कार्यक्रम मैंने बताया, हेल्थ प्रोग्राम, न्यूट्रीशन प्रोग्राम, एजुकेशन प्रोग्राम यदि इन का सही ढंग से क्रियान्वयन नही हो पाता तो उसके लिए जो तत्व जिम्मेदार हैं, जो तत्व दोषी पाये जाते हैं उनके प्रति सबसे सख्त रुख अपनाया जाना चाहिए और इस सब के लिए इन सारी योजनाओं के कार्यान्वयन के लिए आवश्यक है कि आपको पर्याप्त जन सहयोग मिले । इसके लिए कि पर्याप्त जन सहयोग मिले हम को एक जन जागरण अभियान चलाना पड़ेगा देश में एक ऐसा वातावरण बनाना पड़ेगा कि लोगों को यह महसूस हो, लोगों को इसकी आवश्यकता का अहसास हो कि यदि देश का विकास होना है तो इस देश के बालकों का विकास बहुत जरूरी है । यदि देश का उत्थान और तरक्की होनी है तो इस देश के बालकों का उत्थान बहुत जरूरी है । इस देश के बालकों की समुचित परिवरिश हो इसके लिए हमें और ज्यादा बाल कल्याण कार्यक्रमों को प्रस्तुत करना पड़ेगा । इस को मद्दे नजर रखते हुए मैंने यह विधेयक प्रस्तुत किया है । जिसमें यह परिकल्पना की गई है कि भारत के सारे जिलों में बाल कल्याण बोर्ड का गठन और उस बाल कल्याण बोर्ड में पांच लोगों को लिया जाना चाहिए । उसमें एक महिला को भी लिया जाना चाहिए । उस में एक एजुकेशनिस्ट होना चाहिए, एक साइकलोलोजिस्ट होना चाहिए और एक डाक्टर होना चाहिए ताकि जो एजुकेशनिस्ट है वह शिक्षा की ओर ध्यान दे और जो साइकोलोजिस्ट है वह बच्चों का साइकोलोजिकल जो एक्सप्लोयटेशन होता है उसको न होने दे । डाक्टर यह देखे कि उनको पर्याप्त चिकित्सा सुविधाय मिल पा रही हैं या नहीं । साथ ही जो हमारे कार्यक्रम हैं उनकी देखभाल के लिए एक महिला का होना भी काफी ज्यादा जरूरी है ।

महोदय, हमारे गांवों में, 87 प्रतिशत गांवों में, जो हमारे बालक हैं, वे इस प्रकार के शोषण के शिकार हैं । जब 87 प्रतिशत गांवों में बच्चे इस प्रकार के शोषण के शिकार हो रहे हैं तो हमें गांवों में इस प्रकार के कार्यक्रम लाने होंगे जिनसे गांवों के बच्चों का विकास हो सके, जैसे आहार पोषण योजना है । 40 पैसे लोगों को मिल पाते हैं । जिस मकसद से आहार पोषण योजना लागू की गई थी, उसकी जिन लोगों को जिम्मेदारी दी गई है वे ऐसे लोग हैं जो खुद एक्सप्लोयटेशन करते हैं और जो मुनफे के नजरिये से इसको चला रहे हैं । चाहे रजिस्टर्ड सोसाइटीज हों, वे मनाफाब खोरी से इसको करते हैं । इसके पीछे सेवा भाव नहीं होता है, उसके पीछे बाल विकास उनके मन में नहीं होता है । ऐसे लोगों को यह जिम्मेदारी दी जानी चाहिए जिनके मन में देश के बच्चों के विकास की तड़पन हो ।

महोदय, खेती हमारे देश में प्रमुख व्यवसाय है । गांवों में पंचायतों की जो जमीन है, वहां पर पोषण आहार की उपज हो सके, ऐसी चीजें हम उसमें उगायें जो लोगों की खुराक बन सके । ऐसे कार्यक्रम जब बच्चों के विकास के संबध में बनाये जा रहे हैं तो उन पर विचार करते समय ऐसे पोषण आहार जैसे गाजर, मूली, साग-सब्जी वगैरह जो फालतू जमीन पंचयातों के अधीन रहती है उसमें उत्पादित किये जाने चाहिए । इस सम्बन्ध में यह आवश्यक रूप से

[श्री सुरेश पचौरी]

निर्धारित किया जाना चाहिए कि उस जमीन में इस प्रकार के पोषण आहार उत्पादित किया जाना आवश्यक करार दिया जाय। हमारे गांवों में जो भुखमरी है, गांवों में आहार पोषण की वजह से लोग बिमारियों के शिकार होते हैं, गांवों में पर्याप्त भोजन नहीं मिलता है जिसमें बच्चों का मानसिक और शारीरिक का विकास नहीं हो रहा है, जिससे उनका समाजिक उत्थान नहीं हो रहा है उसको दूर करने में सहायता मिल सके। इसके अलावा और भी कई प्रकार के कुटीर उद्योग हैं जो पंचायतों को दिये जाने चाहियें, जैसे कि मुर्गी पालन, डेरी संचालन आदि। गांवों में रोजगार नहीं मिलता है जिसकी वजह से गांवों के जिम्मेदार नागरिक शहरों की ओर पलायन कर जाते हैं। गांवो में बच्चे और मां रह जाती है। उनके संरक्षण का काम, उनकी देखभाल का काम किस को सौंपा जाय, इस बारे में, जब हम पंचायती राज स्थापित करने जा रहे हैं, तो यह जिम्मेदारी पंचायतों को सौंपी जाना जरूरी है। जब हम गांवों में रहने वाले बच्चों की बात करते हैं शहरों में रहने वाले बच्चों की बात करते हैं तो ऐसे बच्चे भी हैं जो असहाय होते हैं और बड़ी दयनीय स्थिति में रहते हैं। वे बच्चे झोपड़ पट्टी में रहने वाले बच्चे होते हैं या स्लम एरियाज में रहने वाले बच्चे होते हैं। वोट की राजनीति करते समय इन लोगों को हम मालिकाना हक दे देते हैं। उनको मालिकाना हक तो मिल जाता है, स्वामित्व तो मिल जाता है, उनकी झोपड़ी तोड़ी तो नहीं जाती है, लेकिन हम उनको क्या सुविधायें उपलब्ध करा पाते हैं; इसको देखा जाना चाहिए। क्या हम उनको आवश्यक सुविधायें दिला पाते हैं; क्या हम उनको शिक्षा की सुविधा दिला पाते हैं? जो मेडिसीन उनको लगना चाहिए, क्या हम वह उनको उपलब्ध करा पा रहे हैं? जिन दवाओं की वहां के लोगों को विभिन्न बीमारियां हो जाने पर आवश्यकता होती है क्या ये दवाईं हम उनको उचित दामों पर उपलब्ध करा पा रहे हैं या निःशुल्क उपलब्ध करा पा रहे हैं या ऐसा कुछ नहीं हो पा रहा है। स्लम एरियाज में हम लोगों का ध्यान केन्द्रित होना बहुत जरूरी है क्योंकि सबसे अधिक असाध्य रोगों के शिकार स्लम एरियाज के ही बच्चे होते हैं। महोदय, जब जिला स्तर पर इस तरह का कोई बोर्ड गठित होगा, बाल कल्याण बोर्ड का गठन होगा उसमें उन सारे लोगों का समावेश होगा। उन सारे लोगों को सम्मिलित किया जायेगा जो एजूकेशनिस्ट हैं, साइकोलोजिस्ट हैं, जो फिजीशियन हैं और साथ में एक महिला भी होगी। इससे मैं समझता हूं वह भावना पूरी हो सकेगी जिसके आधार पर हमारे देश के बच्चों का विकास करना चाहते हैं। जब हमारे देश के बच्चों का विकास होगा तभी हमारे देश का विकास हो सकेगा।

महोदय, हमारे देश में कई प्रकार की कुरीतियां हैं। जब महिला प्रेग्नेंट होती है तो उसकी देखरेख जिस ढंग से होनी चाहिये, अज्ञानता की वजह से, पर्याप्त साधन न होने की वजह से या पर्याप्त धन न होने की वजह से उनकी ओर उचित ध्यान नहीं दिया जाता है। जैसा कि मैंने सबसे पहले कहा था कि जब हम बाल विकास की कल्पना कर रहे हैं तो इसके लिये महिलाओं का विकास आवश्यक है। इसके लिए उनकी अज्ञानता को दूर किया जाना बहुत जरूरी है। उनको प्रेग्नेंसी के समय किस प्रकार की स्थिति का सामना करना पड़ेगा, उसके बाद किस प्रकार की परिस्थितियों का सामना करना पड़ेगा बच्चों की केयर किस ढंग से उनको करनी चाहिए, उनको इस बात की जानकारी दिया जाना बहुत जरूरी है। साथ ही, बच्चों को जो छोटी मोटी बीमारियां हो जाती हैं तो ऐसे बच्चों को तुरन्त पास के अस्पतालों में चिकित्सा सुविधा मिल सके, इसको भी सुनिश्चित करना अत्यन्त जरूरी है। इसके लिये हम एक जन-जागरण शैक्षणिक कार्यक्रम चला सकते हैं। इसमें जो गांव के स्तर पर थोड़ा पढे लिखे लोग हैं, जो आठवीं पास हैं, मिडिल पास हैं या हायर सेकेंडरी पास हैं उनको हम इस तरह के

शैक्षणिक कार्यक्रम के लिये दक्षित कर सकते हैं ताकि वे लोग जो बच्चे इस तरह की बीमारियों का शिकार हो जाते हैं और जिन महिलाओं को इस तरह की परिस्थिति का सामना करना पड़ता है उनको इसके बारे में जानकारी दे सकें ।

महोदय, मुझे उम्मीद है कि जिस मकसद से मैं यह विधेयक प्रस्तुत कर रहा हूं, उस मकसद को पूरा करने में यह विधेयक काफी सहायक सिद्ध होगा । मुझे उम्मीद है कि हमारे इस सदन के माननीय इस विधेयक को पास करने में अपना समर्थन देंगे । इस विधेयक के पास होने से न केवल देश का विकास होगा बल्कि हमारे देश जिसमें बच्चों की जनसंख्या सर्वाधिक हैं उनकी परवरिश सही ढंग से हो सकेगी और हमारा देश प्रगति तथा विकास के द्वार पर दस्तक देगा, ऐसी मैं उम्मीद करता हूं । धन्यवाद ।

The question was proposed.

SHRI GHULAM RASOOL MATTO (Jammu and Kashmir) : I rise to support the Child Welfare Boards Bill, 1988 moved by my friend, Shri Suresh Pachouri. Children, in my opinion, are the treasure of the nation. If this treasure of the nation is ignored, it cannot be a strong nation, it cannot be self-reliant and self-confident. It is a fact that the welfare of the child begins when he is born. Since that time itself his health has to be taken care of; his education has to be taken care of and the other factors have to be taken care of, in order to make him a meaningful person in his life. What is the position today ? The position today is in the majority of the houses when a child is born, he is at best given nourishment which is not adequate in most of the cases. After three or four years he has to be put in a school. The school goes in the direction of 10 *plus* 2 and no care is taken of the aptitude of the boy and no attention is paid to the line that the boy would voluntarily like to adopt. Mr. Suresh Pachouri's Bill desires that the care of the child should be taken at the district level and when this is done, it follows that the child will be given all the facilities. First, he will be given health care in order to make him a healthy child since health is very essential. Then there is the question of his education which, in my opinion, is the most important thing for a child. The position at the present moment is that the child is not given proper care at all with regard to this. These District Boards are supposed to give direction to the children. First, there is the problem of lack of nourishment which these Boards will take care of and then there is the question of health care. Due to lack of proper nourishment and proper health care, the children are neglected and become victims of a number of incurable diseases. Therefore, there is a great and urgent need to look after the children at the national level. It will provide opportunities to those children who are intelligent and promising but due to poverty whose potentiality remains unutilised. In this connection, I would like to mention one thing. There are a lot of students amongst the very poor people who are otherwise very intelligent, but who are not being taken proper care of. I remember, in 1952, a villager from Khandhar village in my State came to see Sheikh Mohd. Abdullah who was the Chief Minister then and he had brought a boy with him. He said to the Chief Minister that the boy had passed his matriculation examination and that he was a first class student and he should be given some employment. The father of the boy told the Sheikh : "I would beg of you to give him some employment.". Then, Sheikh Saheb looked at the boy and immediately asked his Secretary to get his car and take the boy right to the Director of Education and to tell him that this boy should be given education up to the limit he can and that the State would finance it ! Lo and behold, this boy is the Financial Commissioner of our State now. The point is that

[Shri Ghulam Rasool Matto]

the intelligence and aptitudes of such boys are being lost and nobody takes care of them. The parents are not able to take care of the boys and the society is unable to do it. So, who is going to take care of them ? The State is not taking care of them at the present moment. So, Mr. Pachouri has suggested the formation of a non-governmental organisation which, of course, will be subsidised by the Government and which will have a lot of money pumped into it in order to make it meaningful and effective. I know that our present Minister of Welfare, Smt. Rajendra Kumari Bajpai, is herself very keen that the children should be given proper education. But some shape has to be given and it has to be seen as to how that help should be forthcoming. In this context, I think Mr. Pachouri's Bill is a step in the right direction. We are about to implement the Panchayati Raj system and I would only request the Minister to see whether this scheme also can be fitted in at the district level with the Panchayati Raj system. I think this can be done. We are really in need of such a Bill. If Mr. Suresh Pachouri's Bill is not acceptable to the Government right now, then the Government should come forward with a representative Bill, with a concrete Bill. But the need is there, and I think that if we do not do something now we will not be able to be forgiven by posterity. The fact remains that our children are not being taken care of. The fact remains that our children need the attention of the society. The fact remains that the children need the attention of the State Governments; they need the attention of the Central Government. And unless it is channelised and harmonised and institutionalised, this cannot become meaningful.

I hope that the hon. Minister will look at this from that angle that you have to make this nation, and for making this nation the children must be healthy, must be provided nutritive food and they must be given all the help. In order to achieve that end, the mere present system of schools, government schools or hospitals will not give the desired results.

I would, therefore, strongly support the Bill and request the hon. Minister that it is time that she should apply her mind to this. And if the Bill in the present form is not acceptable to her, she should assure that she would come forth with a model Bill, may be on the lines of the prospective Panchayati Raj system with the Bill that they are bringing forth. But the need is there. I would request and submit to the hon. Minister that she should look at it from this angle.

With these words, I heartily support this Bill.

श्री सुरेन्द्रजीत सिंह अहलुवालिया (बिहार) : उपसभाध्यक्ष महोदय, मैं अपने प्रिय मित्र सुरेश पचौरी जी द्वारा प्रस्तुत बाल कल्याण बोर्ड विधेयक, 1988 का समर्थन करने के लिये खड़ा हुआ हूं । जैसा मेरे पूर्व वक्ताओं ने कहा कि किसी भी मुल्क के बच्चे उस मुल्क की धरोहर है और आने वाले भविष्य की पूंजी हैं । यह उसी तरफ है कि जिस मुल्क का बच्चा भूखा रहेगा तो आने वाले समय में हमें उस मुल्क में अकाल देखना पड़ेगा और जिस मुल्क के बच्चे अनपढ़ रहगे, हमें आने वाले दिनों में उस मुल्क में अन्धकार देखना पड़ेगा और जिस मुल्क का बच्चा कमजोर रहेगा आने वाले समय में वह एक कमजोर मुल्क बनकर खड़ा होगा । हमें न तो इस मुल्क में अकाल देखना है, न इस मुल्क में अंधकार रखना है और न ही इस मुल्क को कमजोर रखना है। तो हमारे सामने एक ही सवाल है कि हम अपनी नींवों को मजबूत कैसे करें । हमारी नींवें हैं आज के बच्चे । जो कल भविष्य में इस मुल्क का भविष्य बनेंगे, इस मुल्क की दीवारों को खड़ा करेंगे और इस मुल्क के भार को ढोकर किसी तरह इस मुल्क के झण्डे को और ऊंचा करेंगे । कुछ दिन पहले एक फिल्म बनी थी "सलाम बाम्बे" देखकर बड़ा अफसोस

हुआ कि वाकई कहीं कहीं सरकार की या हम लोगों की नजरों में दूर बच्चों के साथ कैसे व्यवहार होता है । मैंने "सलाम बाम्बे" पिक्चर हिन्दुस्तान में नहीं देखी । मैं पीछे ह्यूमन राइट्स की एक कान्फ्रेंस अटेंड करने जेनेवा गया तो वहां एक स्वीडिश महिला ने मुझे वह फिल्म दिखायी कि आपके मुल्क में यह हो रहा है । मुझे वह फिल्म देखकर बड़ी शर्म आई और मैंने महसूस किया कि वाकई आज हमारे मुल्क में कुछ काम करने की जरूरत है तो चाइल्ड वेलफेयर के लिए कुछ करने की जरूरत है और मैं वाकई शुक्रगुजार हूं अपने दोस्त पचौरी जी का जिन्होंने ऐसा एक विधेयक लाने की कोशिश की है और मैं उम्मीद करता हूं कि हाउस के सभी सदस्य इसका समर्थन करेंगे—दुर्भाग्य इस बात का है कि आज विपक्ष हमारे साथ नहीं बैठा हुआ है, लेकिन कम से कम मैं ऐसे मुद्दों पर अहमकरके ऐसे विधेयक लाने की जरूरत समझता हूं... **(व्यवधान)**

शुरुआत होती है एक बच्चे की उसी तरह से कि जिस तरह से जमीन को देखकर; जमीन के हालात को देखकर बताया जा सकता है कि फसल कैसी होगी । शुरुआत उसी वक्त होती है, जमीन में जब बीज बोया जाता है । तो उसको अगर पूरी खाद न मिले, पूरा पानी न मिले पूरा पेस्टिसाईड न डाला जाए, तो फसल में कीड़े लगने की संभावना होती है । शुरुआत होती है मां से, जो यहां बच्चे की मां है, गर्भवती महिला है, उसको न्युट्रिशन फूड देते हैं या नहीं, उसका कितना ख्याल करते हैं, उसको जो टीके लगने चाहिएं, वह टीके लगते हैं कि नहीं, उस पर कितना विचार किया जाता है, उसको जरूरत की दवाइयां मिलती हैं कि नहीं ।

पीछे हमारी कण्ट्री में एक दवाई को लेकर अलार्म सा पड़ गया, जिसमें कई गर्भवती महिलाएं कलकत्ता अस्पतालों में मर गई । यह एंटि-डोज एक मिलती है, आर० एच० नेगेटिव फेक्टर का ब्लड जिसका होता है वह गर्भवती महिला अगर पहले वह एंटि-डोज नहीं लेती है, तो उसको तकलीफ होती है, फिर वह किसी बच्चे की मां नहीं बन सकती और तरह-तरह की कम्पलिकेशंस हो सकती है । उसको रोकने के लिए एक एंटि-डोज का इंजेक्शन होता है । वह इंजेक्शन जो हिंदुस्तान में तैयार होता था, उसमें एडज के जर्म्स पाये गये थे ।

आज इन चीजों को देखने की जरूरत है, पहले मां को देखें गैर्भवती मां को, तब हम बच्चे का ख्याल कर सकते हैं और उसके साथ-साथ जब यह मां बच्चे को जन्म देती है, पहले लोग सवा महीना घर में रोक कर सकते थे, किन्तु देश की गरीबी के कारण गांव की महिलाएं सवा महीना घर में नहीं बैठ सकतीं । उन्हें चौथे या पांचवें दिन खेत में काम करने जाना पड़ता है ।

उनके बच्चों को देखने के लिए गांव में बाल विकास केन्द्र खोले जायें, जहां पर उनके बच्चों की देखभाल की जाए, जहां बच्चों को पीने के लिए दूध दिया जाए, जहां बच्चों को देने के लिए पोष्टिक भोजन मिले और दवाई मिले और मल्टी-वीटामिज के ड्राप्स मिलें, इसकी व्यवस्था करने की जरूरत है ।

हमारे मित्र, सुरेश पचौरी जी ने अपने इस विधेयक के माध्यम से जिला स्तर पर जो चिल्ड्रन वेलफेयर बोर्ड बनाने की कोशिश की है, उसमें इन चीजों को ध्यान में रखने की जरूरत है ।

मैं जरा हैल्थ से दूर हट कर थोड़ा दूसरी तरफ जाना चाहता हूं कि एक बच्चा क्रिमिनल क्यों बनता है ? बच्चे को हम मजबूर करते हैं क्रिमिनल बनने के लिए । एक तरफ तो दिल्ली शहर में उसी उम्र के बच्चे कंप्यूटर से खेल रहे हैं, उनके पास अच्छे कंप्यूटर गेम्स हैं, उनके पास अच्छे इलैक्ट्रानिक रिमोट कंट्रोल्ड टायज हैं, पर इन गरीब बच्चों के लिए लकड़ी का घोड़ा भी उपलब्ध नहीं है ।

जहां पर शहरों में रिमोट कंट्रोल के माध्यम से वह अपने घोड़े दौड़ा रहे हैं, इन गरीब बच्चों के लिए मिट्टी के खिलौने तक उपलब्ध नहीं हैं । इन बाल विकास केन्द्रों के माध्यम से कम से कम बच्चों को मुफ्त खिलौनों का वितरण होना चाहिए क्योंकि बच्चे चाहे अमीर हों, चाहे गरीब हों, उसको बचपन में ही खेलने की आदत होती है और खेलने के लिए उसको खिलौना

[श्री सुरेन्द्रजीत सिंह अहलुवालिया]

चाहिए। वह खिलौना कैसा होगा, वह खिलौना कितना महंगा होगा या सस्ता होगा, यह हमारे और आपने विचार करने की बात है। जब उस बच्चे को छोटी उम्र में खिलौना नहीं मिलता है तो अगले का, उस शहर में रहने वाले बच्चे का खिलौना छीनने की कोशिश करता है। जब वह छीन नहीं सकता, अगर कमजोर होता है, तो वह अपनी ताकत का संचय करता है सिर्फ उस खिलौने को छीनने के लिए और एक दिन वह खिलौना छीनते-छीनते बड़ी छीनने लगता है। एक दिन वह खिलौना छीनते छीनते महिलाओं के गले से चेनें उतारने लगता है और ट्रेन में आकर चोरियां करने लगता है।

कौन है जिम्मेदार इसका ? हमारा समाज इसका जिम्मेदार है हम जिम्मेदार हैं, जो इनका ख्याल नहीं रख रहे हैं, जो हम उन्हें खिलौना नहीं उपलब्ध करा रहे हैं। एक खिलौने पर एक क्रिमिनल बच्चा पैदा किया है। एक छोटी सी बात पर कितना बड़ा कैंसर फैला दिया है हमने। यह सोचने की बात है।

बच्चों को गांव में पढ़ाने के लिए—शहरों में तो दुनिया के नर्सरी स्कूल खोले जाते हैं, गांव में नर्सरीज नहीं हैं। वहां पर नर्सरीज खोलने की जरूरत है ताकि वह बच्चों को कम से कम स्कूल में बैठना सिखायें, अदब से बोलना सिखायें, एक-दूसरे से मिलना जुलना सिखाये। नर्सरीज में यही सिखाया जाता है और बच्चों की बाल विकास केन्द्रों के मध्यम से नहीं सिखाया जा सकता है और उसके साथ-साथ जो बेसिक चीज की जरूरत पड़ती है, कपड़ा और खाना, आज तक जितनी स्कीम्स बनाई गई हैं, किसी सरकार ने धोती बांटने की शुरूआत की है... किसी ने साड़ी बांटने की शुरूआत की है, पर किसी ने आज तक बच्चों के कपड़े बांटने की कोई शुरूआत की है ? आज तक कभी नहीं हुआ, जिसकी जरूरत है। घर में एक औरत होती उसको साड़ी दे दी, घर में एक आदमी होता है, उसको धोती दे दी, पर घर में पांच बच्चे हैं उनको कपड़ा हमने नहीं दिया। होता क्या है कि मां बच्चे का तन ढांपने के लिए अपना आंचल फाड़-कर देती है। आज उस बच्चे को कपड़े देने की ज्यादा जरूरत है और सस्ते दर के कपड़े बनाकर कम से कम उनका वितरण करने की जरूरत है। उसके साथ-साथ गांवों के बच्चे, झोंपड़-पट्टी ए के बच्चे और शहर के बच्चों के बारे में बात हुई पर एक और जगह बच्चे घूम रहे हैं वह हैं फुटपाथ के बच्चे। उनको कौन देखेगा और वे कहां जायेंगे ? मैं पिछले दिनों एक सीरियल देख रहा था कि बच्चे खेलने से मना करते हैं और कहते हैं कि तेरा बाप कौन है। बड़ी अजीब बात है, पर यह टी०वी० का सीरियल कुछ अच्छी बातें भी सिखाता है और कुछ खराब बातें भी सिखाता है। एक तरफ वह सिखा रहा है, उसको प्रश्न किया जा रहा है कि तेरा बाप कौन है ? वह कहता है कि मेरा बाप फलाना है। वह बोले नहीं, तेरा बाप वह नहीं है। इस तरह के प्रश्न इन फुटपाथ के बच्चों के साथ के किए जाते हैं। इस तरह के प्रश्न इन फुटपाथ के बच्चों की जब मातायें इन बच्चों को स्कूल में भर्ती कराने के लिए जाती हैं तो उनसे पूछे जाते हैं। आज भी जबकि कानून बन गया है, आज भी स्कूलों में एडमीशन के समय पूछा जाता है कि इसका बाप क्यों नहीं आया। क्यों पूछा जाता है ? क्यों मजबूर किया जाता है कि बाप का आना जरूरी है ? अगर कोई भी महिला या पुरुष बच्चे को लेकर स्कूल पहुंचता है, अगर उसका पिता जाता है बच्चे को पहुंचाने तो कोई नहीं पूछता कि उसकी मां क्यों नहीं आई, किन्तु एक औरत जाती है उस बच्चे को लेकर तो उसको जलील करने के लिए स्कूल वाले पूछते हैं कि इसका बाप क्यों नहीं आया। ऐसे प्रश्न क्यों किए जाते हैं ? इस पर विचार करने की जरूरत है। मैं समझता हूं कि जब यह विधेयक पूरा रूप लेगा तो इसमें यह सारी बातें आयेंगी कि एक बच्चे की परवरिश करने में क्या क्या असुविधाएं आ सकती हैं और हम उनको क्या क्या सुविधाएं दे सकते हैं। यह एक बहुत अच्छा काम और बहुत बड़ा काम है। मैं तो सुरेश पचौरी को इसलिए भी धन्यवाद दूंगा कि हमारा मित्र सुरेश कुंवारा है अभी शादी नहीं की है और बच्चों के बारे में सोच रहा है। हम तो बाल-बच्चेदार हैं, हमें तो ज्यादा सोचना चाहिए था, किन्तु यह कुंवारा है और इतना ज्यादा सोच रहा है।

उसके साथ-साथ बोंडेड लेबर है, इनको बोंडेड लेबर बनाया जाता है उसके बारे में कुछ-कुछ एन.जी.ओज कहीं-कहीं काम कर रहे हैं, पर अभी तक कोई पूरा रास्ता नहीं निकाल सके हैं । मैं इसी चर्चा के माध्यम से एक और गुजारिश करूंगा कि "मिड डे मील" जैसे स्कूल के बच्चों के लिए तो हमने कह दिया, संविधान में प्रावधान रख दिया कि 14 साल तक की उम्र तक के बच्चों को सरकार फ्री पढ़ायेगी किन्तु हमने संविधान में यह प्रावधान नहीं रखा कि 14 साल तक के बच्चों को कंपलसरी पढ़ायेगी और कम्पलसरी तब पढ़ायेगी जबकि 14 साल तक के बच्चों को वह रोटी, कपड़ा और शिक्षा तीनों चीजें देगी वह तभी हम दे सकते हैं । आज गरीब का बच्चा स्कूल क्यों नहीं जा सकता ? उसकी मां चाहती है कि कहीं बर्तन मल आएगा तो दो रुपये कमायेगा और अगर स्कूल जायेगा तो मेरे लिए क्या फायदा होगा । तो इन चीजों पर विचार करने की जरुरत है कि मिड डे मील एट लीस्ट ए ग्लास आफ मिल्क उनको जरुर मिलना चाहिए । दूध का एक गिलास उनके लिए जरुर मिलना चाहिए । हम कहते हैं कि यह सम्भव नहीं है । पर आप किसी भी ट्राइबल एरिया में चलिए । क्रिश्चियन मिशनरीज आज जो यह धर्म का परिवर्तन चल रहा है, जो ट्राइबल औरतें बच्चों को छोड़ कर चली जाती हैं उनके कैंप में और वह जीसस क्राइस्ट की फोटो को दिखा कर कहते हैं कि ये जीसस, गिव मी सम फूड और वह बच्चा आहिस्ते-आहिस्ते देखता है कि हाथ जोड़ने से चाक्लेट मिलता है, हाथ जोड़ने से दूध का गिलास मिलता है, हाथ जोड़ने से दलिया या हलुवा मिलता है तो वह आहिस्ते-आहिस्ते जीसस का पुजारी हो जाता है । बच्चे को पता ही नहीं लगता उसका प्रकार यह धर्म परिवर्तन हो रहा है । किस तरह से यह शोषण हो रहा है ? इन सब चीजों को रोकने के लिए एक ही रास्ता है जो रास्ता श्री सुरेश पचौरी ने अपनाया है । इस विधेयक को बृहत्तर रूप देने के लिए मैं कहूंगा कि राजीव गांधी की नई योजना, ग्राम पंचायत योजना के बारे में जो बात आई है हम जिला परिषद् के स्तर से, जिला परिषद के माध्यम से ऐसे बाल विकास केन्द्र चला सकते हैं । और गांव के अंतिम स्तर तक पहुंच सकते हैं जहां कि आज तक हम स्कूल न खोल सके हों हो सकता है वहां कोई खिलौना घर न बना सका हो । हमने यहां पर तो अप्पू-घर बना दिया, परन्तु क्या कभी आपने सुना है कि गरीबों के लिए किसी गांव में कोई अप्पू-घर का कोई नमूना पेश किया गया हो ? यह अप्पू-घर उसी तरह का गांव वालों का सपना है, जिस तरह कि दिल्ली की मिडिल क्लास फेमिली के लिए Walt Disney land वर्ल्ड स्पेस के प्ले इंग ग्राउंड का सपना है । तो यह अप्पू-घर क्यों न हर जिले में, हर जिला-हैडक्वार्टर में बने ताकि वहां के बच्चे कम से कम खेलकर अपना दिल बहला सकें और नई-नई चीजों को देख सकें क्योंकि सेहत के लिए जिस तरह से पौष्टिक आहार की जरुरत है, उसी तरह दिल बहलाने की भी जरुरत है ।

इन्हीं शब्दों के साथ मैं इस विधेयक का पूर्ण समर्थन करते हुए आपसे इजाजत चाहता हूं । धन्यवाद ।

PROF. (MRS.) ASIMA CHATTERJEE (Nominated) : Mr. Vice-Chairman, Sir, I support the Child Welfare Boards Bill, 1988. My hon. colleague, Shri Suresh Pachouri has moved the Bill to provide for the establishment of Child Welfare Boards in every district of the country to deal with the matters connected therewith and he is fully justified in doing so.

Sir, in my special mention during the Budget session I said that in Madhya Predesh and in several other States in this country the children are not only being tortured by the employers but also by the parents and this position has been observed frequently in the case of economically backward sections and as a result of the physical torture they become cripple. This also I mentioned on that occasion and they become ultimately psychological patients, which is a great loss to our country, I mean great manpower loss to our country.

Now, Sir, realising this situation, the Government of India particularly the Ministry of Social Welfare has implemented a number of child

[Prof. (Mrs.) Asima Chatterjee]

welfare programmes and our hon. Minister, Shrimati Bajpai, must be congratulated for taking action in an effective manner so that the programme might work well. But, Sir, we are now facing great difficulties with the destitute and deprived children, whose number is increasing enormously. This is a great problem which we will have to tackle in the near future, and the society and public authorities have a duty to extend particular care to these destitute children. In this connection, I may mention that the concept of foster parents or adoption has to be encouraged to provide a child with a family environment which will enable them to develop their faculties and have all round development. Inter-country adoption has already started, but sometimes the motivation of those parents is not very clear. Personally I am sceptical about their motivation. Moreover, the adjustment in a new environment, which has already been mentioned by our hon. Minister in her speech some time ago, that the new environment may result in the psychological imbalance and this aspect has to be considered very seriously. Now, it is a fact, Mr. Vice-Chairman that the number of destitute and deprived children is increasing in recent times. So, a national plan for the welfare and rehabilitation of such orphans should be formulated without further delay for the country's welfare and progress. The children must get opportunities to get education and proper training so that they may be good citizens of India and render service to the society. As we all know, the integrated child development service programme under the Ministry of Human Resource Development has already been implemented and the work under the programme is progressing satisfactorily, but the work under this programme must be intensified. As the problems are of basic nature and have become more and more acute, necessary steps should be taken in this direction. Considering the huge population of the country, the Government of India should invite more welfare organisations to take up child welfare programmes so that the problem can be tackled in an effective manner. It cannot be denied that in recent years, the five components of maternal and child care, nutrition referal health immunisation and pre-school education have deteriorated in many States. The children working in the factories, in restaurants, in agricultural areas, particularly in unorganised sectors, are not receiving proper care regarding their remuneration, their health problems and their education. The same situation is observed with the children working in bidi factories. The owners of these factories do not care for their occupational hazards, and the government should intervene. The children should be be given protection against inhuman torture. Mr. Vice-Chairman, we know the proverb that "charity begins at home." It is painful to see that modern parents have started neglecting their children. Therefore, it is imperative that the parents must take care of the children so that they can grow up in a healthy atmosphere and they must not have the feeling that they are being neglected, so that they may not become spsychological patients in the near future. Psychological problems have come up so much so that I am compelled to mention this particular point. I think it is necessary to have a national movement for the upliftment of the neglected children. There must be a provision for good training and orientation for the school teachers, including use of playway methods. The schools must have provision for medical care and the children must be taught to live together and play together so that they may develop community feeling which is so essential for national unity and integration. We will have to think of this problem from this angle.

Furthermore, as has been mentioned, the children have been suffering from malnutrition and no proper

care is being taken for their education which is so essential for eradication of illiteracy. The problem is really acute and as has been suggested by my hon. colleague, in every district, child welfare boards should be set up considering the magnitude of the problem so that the problem can be solved in an effective manner.

Lastly, I would like to say that for the pre-school education, the school authorities must strengthen regional resource centres so that they can be utilise them properly for spread of education and for proper development of the mental faculties of our children. Thank you.

5 P.M.

श्री हरि सिंह (उत्तर प्रदेश) : मान्यवर, उपसभाध्यक्ष जी, श्री पुचौरी जी का यह जो प्रस्ताव है, यह बहुत ही समयानुकूल है। यह वक्त का तकाजा है और उभरते भारत के बच्चों की जिन्दगी को बनाने और उनके जीवन को संवारने के लिये यह बिल बहुत ही उपयोगी और इस दिशा की ओर इंगित करने वाला है। मैं इस बिल का स्वागत करता हूं।

महोदय, आपको यह जानकर प्रसन्नता होगी कि हमारी केन्द्रीय सरकार ने बच्चों के कल्याण के लिये, उन्हें तन्दरूस्त बनाने और उनकी शिक्षा-दीक्षा के लिये एक नहीं, अनेक प्रकार की हरेक स्तर पर योजनायें चलायीं हैं। यह जरूर है कि जो बहुत सारी योजनायें चल रही हैं, उनका ठोक ढंग से कार्यान्वियन नहीं हो रहा है, लेकिन सरकार की जो नीतियां हैं, इससे साफ जाहिर होता है कि बच्चे जो देश के भविष्य हैं, यह हमारे राष्ट्र की धरोहर हैं, इनके हाथ में हमारा राष्ट्र सुरक्षित होना है, उनके लिये जो यह योजना है, हमारी भारत सरकार की, उनके भविष्य को बनाने के लिये बहुत ही उपयोगी है। यह हमारी जो पंचवर्षीय योजना है, जो हमारे देहात के उपकार करने की है, शिक्षा की है, स्वास्थ्य की है, कोई भी ऐसी योजना नहीं है, जो भविष्य को, चाहे वह देहात का हो या जो भी हो, उसको सुधारने के लिये योजना बना न लाती हो। शहरी बच्चों को सुधारने के लिये तो बहुत कुछ किया जा रहा है, लेकिन गांवों में जो बच्चे रहते हैं ...**(व्यवधान)**...

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI V. NARAYANASAMY) : Mr. Hari Singh, you can continue your speech on the next non-official day allotted for Bills. We shall now take up Special Mentions. Shri Vishwa Bandhu Gupta.

SPECIAL MENTIONS

Reported landing of a Chinese balloon near Rohtak, Haryana

SHRI VISHWA BANDHU GUPTA (Delhi) : Mr. Vice-Chairman, Sir, I rise to bring to your kind notice and to the notice of this august House a matter of some importance raised by the hon. Member from the Janata Dal, Shri Om Prakash Chautala. He had received information that a Chinese balloon landed near Rohtak, in Haryana. On the basis of this, he was kind enough to demand the resignation of the hon. Minister of Defence Shri K. C. Pant.

[**The Vice-Chairman (Shri Jagesh Desai)** in the Chair]

Sir, I would like to point out that this is a ridiculous suggestion and charge which points to the bankruptcy of the opposition parties, particularly, the Janata Dal, that they should ask for the resignation of the Defence Minister because a harmless balloon from China landed here because of a drift in the weather. These kinds of balloons from China have been landing here off and on. They were originally invented and designed by the Japanese. They were used in the Second World War, In fact, the Japanese had planned to invade the U.S.A. with the use of these paper balloons.